कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:--

412

/ FP/UK/ROAD/41149/2019 दिनॉकःदेहरादून

8

अगस्त, 2022

सेवा में.

अर्घर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0—1710/2015 के अन्तर्गत विधानसमा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आर0ई0सी0 बैठक दिनांक 30.11.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित आर0ई0सी0 बैठक दिनांक 30.11.2021 द्वारा चाही गयी कितपय बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 406/12—1(2) दिनांक 30—07—2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्रं0	आपत्तियां	निराकरण
सं०	-1, 7, 1, 1	11111769
	The proposed road beyond village 'Serad'is not	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक
	justified as the village located at the end are	406/12-1(2) दिनांक 30-07-2022 के द्वारा अवगत
	already seem connected. The state govt. may	कराया गया है कि मोटर मार्ग की स्वीकृति लछेर से
	submit the justification in this regard.	कटियानी तक 12.00 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है।
		चूंकि 12.00 कि0मी0 में मार्ग कटियानी से नहीं जुड़ पा
	9	रहा है। कटियानी से जोडने हेतु अतिरिक्त 2.50
		कि0मी0 ल0 की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तावक
		विभाग द्वारा 2.50 कि0मी0 स्वीकृति हेतु शासन को
		आगणन प्रेषितिकया गया है उक्त मोटर मार्ग से आगे
		की ओर 2.50 कि0मी0 में कटियानी तक सम्पूर्ण नाप
		भूमि पड़ती है, जिसे स्वीकृति उपरान्त अलग से निर्मित
		किया जाएगा। अतः प्रस्तुत मार्ग औचित्यपूर्ण है।
2	Location village 'Katyani' is required to be	CF has mentioned on his letter no 406/12-1(2) dated
	marked in the KML file along with other govt.	30-07-2022 location of village 'Kyatyani' has been
	structure such as schools, block head quarter etc.	marked in the KML file along with other govt.
		structure such as schools, block head quarter etc. and
		also uploaded in Form A, Part-I.
3	It was seen that the CA area has been inspected	CF has mentioned on his letter no 406/12-1(2) dated
	by the Range Officer. State govt. may submit the	30-07-2022 CA site inspection report of the DFO
	CA site inspection report of the concerned DFO.	has been uploaded in Form A, Part-I and attached with this letter.
4	State govt. is requested to submit the CA scheme	CF has mentioned on his letter no 406/12-1(2) dated
	on the prevailing rates duly countersigned by the	30-07-2022 CA scheme with new rate has been

A		uploaded in Form A, Part-I & Part-II and the scheme is attached by this letter.
5	It was also seen that the CA area is mentioned as 10.8 ha. Instead of 11.20 ha. at para 13, in part II, which is required to be corrected.	CF has mentioned on his letter no 406/12-1(2) dated 30-07-2022 CA area is uploaded as 11.20 ha. at para 13, part-II.

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारि. वेज संरक्षण

भवदीय,

912 / FP/UK/ROAD/41149/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 406/12–1(2) दिनांक 30–07–2022 के क्रम में। 2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

(एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण